प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 95/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

कुलदीप चौबीसा पिता मदन लाल चौबीसा निवासीः 48 डी, वर्धमान नगर, उत्तरी सुन्दरवास, उदयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28/07/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 24.04.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/95/25/638–39 दिनांक 02.07.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./सू.अ.अ./2005/प्र.अ.स./95/25/1053 दिनांक 28.07.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के क्रम में रिकॉर्ड प्रभारी से रिपोर्ट ली गई। रिकॉर्ड प्रभारी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में रिकॉर्ड की गहन तलाशी ली गई जिसमें प्रार्थी द्वारा बताए गए न्याय आपके द्वार अभियान का वर्ष 2018 का बस्ता मिला है किन्तु प्रार्थी द्वारा चाहा गया संपरिवर्तन आदेश उक्त बस्ते की तलाशी में नहीं पाया गया है, ना ही रजिस्टर में उक्त संपरिवर्तन आदेश का अंकन पाया गया। उक्त सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 1051 दिनांक 25.07.2025 को भिजवा दी गई है। अतः उक्त प्रकरण को निरस्त करने का आदेश फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपने प्रत्युत्तर में कथन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाहे गये संपरिवर्तन आदेश से संबंधित पत्रावली की रिकॉर्ड रूम में गहन तलाश की गई परन्तु चाहे गये दस्तावेज नहीं मिले ना ही उक्त संपरिवर्तन आदेश का रजिस्टर में अंकन किया गया है। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं है क्योंकि की अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ उक्त संपरिवर्तन आदेश की प्रति संलग्न की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अंपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना से संबंधित रिकॉर्ड की

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

गहन खोज कर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये। रिकॉर्ड नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराये तथा रिकॉर्ड संधारित करने से संबंधित कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए 15 दिवस के भीतर न्यायालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/07/25 को लिखवाया जाकर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर